



2026:AHC:8949

प्रतिवेद्य

सुरक्षित: 28 नवंबर, 2025

पारित: 14 जनवरी, 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यायालय सं-77

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या-12575 वर्ष 2025

उम्मे फरवा ... उम्मीदवार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मनोज कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, नज्म उज्जमान

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरी

1. श्री सतीश कुमार दुबे, अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पांडे, आवेदक के अधिवक्ता, श्री नज्म उज्जमान खान, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता और श्री पंकज कुमार त्रिपाठी, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने धारा 528 बी.एन.एस.एस. (संबंधित धारा 482 द०प्र०स०) के तहत तत्काल आवेदन दायर किया है, जिसका उल्लेख आवेदन के प्रार्थना खंड में किया गया है।

3. आवेदन में जिस राहत का उल्लेख किया गया है, वह नीचे दी गई है:-

"इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित विविध केस संख्या-750/12//2024 (डॉ. महमूद आलम खान बनाम उम्मे फरवा और अन्य) अलीगढ़ थाना-क्वार्सी, जिला अलीगढ़ में दर्ज



अपराध संख्या 1004/2023 के तहत धारा 506, 507 भ०द०वि० के तहत मामला दर्ज किया गया है, की पूरी कार्यवाही सहित दिनांक 23.10.2024 के आक्षेपित संज्ञान/समन आदेश को रद्द करने की कृपा करे।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि सूचनाकर्ता/प्रतिपक्षी संख्या-2 वर्ष 2020 में हनयांग विश्वविद्यालय, सियोल में एक शोध प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे। सूचनाकर्ता की पत्नी (यानी प्रस्तुत आवेदक) कोरिया के चोंगियू विश्वविद्यालय के निवासी अफजान खान के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही थी। जब सूचनाकर्ता को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने एक तरफ कोरिया पुलिस से शिकायत की और अपनी पत्नी पर भी आपत्ति जताई तो उसने सूचनाकर्ता से तलाक ले लिया और शरीयत के मुताबिक उनका रिश्ता खत्म हो गया। अपने बड़े बच्चे के भविष्य और करियर को बचाने के लिए, सूचनाकर्ता ने अपनी नौकरी छोड़ दी और 05.02.2021 को अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत कुटुंब न्यायालय, अलीगढ़ में संरक्षकता के लिए मामला दायर किया, जो अभी भी लंबित है। प्राथमिकी में आगे आरोप है कि सूचनाकर्ता की पत्नी और उसका लिव-इन पार्टनर सूचनाकर्ता और उसकी बेटी के प्रति अवांछित, अवांछित और गंदी भाषा बोलकर उसे बदनाम करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोपियों ने सूचनाकर्ता को धमकी भी दी है कि भारत में न आए या न रहें, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा।

5. प्रतिपक्षी संख्या-2 (पति) ने आवेदक (पत्नी) के खिलाफ धारा 504, 507 भ०द०वि०, थाना-क्वारसी, जिला-अलीगढ़ के तहत केस अपराध संख्या-1004 वर्ष 2023 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक, जो प्रतिपक्षी संख्या-2 की पत्नी है, ने कभी भी कोई अपराध नहीं किया है, जैसा कि प्राथमिकी में उसके खिलाफ आरोप लगाया गया है, लेकिन उसे इस मामले में फंसाया गया है, साथ ही साथ अन्य मामलों में दुर्भावनापूर्ण इरादे के कारण, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए और कोई कारण नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि आवेदक की शादी 14.04.2008 को इस्लामी रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार प्रतिपक्षी संख्या-2 के साथ संपन्न हुई थी और उसके ठीक बाद, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया है और उसे विभिन्न प्रकार के क्रूरता के अधीन भी किया गया था। इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि, एक बेटे के जन्म के बाद भी, विवाह के भीतर, तब भी प्रतिपक्षी संख्या-2 के व्यवहार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में सुधार नहीं हुआ, इसलिए आवेदक-पत्नी पति यानी प्रतिपक्षी संख्या-2 से खुश नहीं थी। वह प्रस्तुत करता है, कि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने आवेदक को उसके ससुराल से भी बाहर कर दिया था, इसलिए उसके पास अपने माता-पिता के घर में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह प्रस्तुत करता है कि, जब आवेदक ने अपने माता-पिता के घर में रहना शुरू किया, तो प्रतिपक्षी संख्या-2 ने झूठे आरोपों के आधार पर उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की हैं और प्रस्तुत आपराधिक कार्यवाही भी उन मामलों में से एक का परिणाम है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान, जब कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता दिखाने वाला कोई सबूत नहीं पाया गया, तो संबंधित विवेचनाधिकारी ने संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 19.06.2024 को अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) प्रस्तुत की। इसके बाद, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने 22.10.2024 को एक विरोध याचिका दायर की और संबंधित मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया और 19.06.2024 की अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और धारा 190(1)(बी) द०प्र०स० के तहत संज्ञान लिया और धारा 504, 507 भ०द०वि० के तहत दिनांक 23.10.2024 के आदेश के तहत राज्य के मामले के रूप में आगे बढ़ाया, जिसे इस आवेदन में मामले की पूरी कार्यवाही के साथ चुनौती दी गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रहे हैं और उन्होंने मनमाने तरीके से और कानून के प्रावधान के खिलाफ संज्ञान-सह-समन आदेश पारित किया है, जिसे रद्द किया जा सकता है।

7. ततस्य विपरीत, प्रतिपक्षी संख्या-2 की ओर से पेश अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान-सह-समन आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है और इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने इस मामले में संबंधित विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की है और विद्वान मजिस्ट्रेट ने जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों की मूल्यांकन के बाद पाया है कि आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उसने उक्त आदेश पारित किया है, जो किसी भी तरह से अवैधता या अनौचित्य से ग्रस्त नहीं है।

8. अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई दलीलों को अपनाया है और कमोबेश इसी तर्ज पर तर्क दिया है। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों की ठीक से मूल्यांकन करने के बाद आक्षेपित आदेश



पारित किया है और इसलिए आवेदक के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. दोनों पक्षों की ओर से पेश होने वाले वकीलों को सुना और पूरे अभिलेखों का अवलोकन किया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून के रूप में कानून के प्रावधान को ध्यान में रखा।

10. यह अभिलेखों में आया है कि आवेदक के पति प्रतिपक्षी संख्या-2 ने 28.09.2023 की घटना के संबंध में पुलिस थाना- क्वारसी, जिला- अलीगढ़ के थानाध्यक्ष (थानाध्यक्ष) को जानकारी दी, जिसने 28.09.2023 को धारा 504 और 507 भ०द०वि० (संबंधित धारा 352 और 351(4) बी.एन.एस.) के तहत केस अपराध संख्या-1004/2023 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

11. कानून में प्रावधान है कि धारा 504 भ०द०वि० के तहत, अधिकतम कारावास दो साल या जुर्माना या दोनों हैं, जो किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा गैर-संज्ञेय, जमानती और विचारणीय है। जहां तक भ०द०वि० की धारा 507 का संबंध है, यह भी गैर-संज्ञेय, जमानती और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। दोनों धाराओं में दो साल तक की सजा है, इसलिए यह वारंट केस के बजाय समन का मामला है। थाना के थानाध्यक्ष ने इसे धारा 155 द०प्र०स० के तहत गैर-संज्ञेय रिपोर्ट के रूप में मानने के बजाय, (संबंधित धारा 174 बी.एन.एस.एस.) धारा 154 द०प्र०स० के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) के रूप में दर्ज किया गया, मामले की शुरुआत से ही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके।

12. पुलिस अधिकारी प्रस्तर संख्या 97, 102 और 103 उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित कानून के अनुसार प्राथमिकी या एन.सी.आर. दर्ज करने के लिए बाध्य है। अन्यथा, यह न केवल द०प्र०स० में उल्लिखित प्रावधान का उल्लंघन होगा, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा, अर्थात् "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

13. उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के प्रस्तर 97, 102 और 103 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

*"97. जब भी किसी थाना के प्रभारी अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने से संबंधित सूचना दी जाती है, तो संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट के लिए चेक रसीद बुक में रिपोर्ट*



(पुलिस फॉर्म संख्या-341) को तुरंत तीन प्रतियों में ले लिया जाएगा। प्रारंभिक जांच द्वारा सही तथ्यों का पता लगाने के लिए समय देने के लिए कदम में किसी भी तरह की देरी नहीं की जाएगी। भले ही यह असत्य प्रतीत हो, रिपोर्ट को तुरंत अभिलेखों किया जाना चाहिए। यदि वे रिपोर्ट मौखिक रूप से की जाती हैं, तो इसे बनाने वाले व्यक्ति के सटीक शब्द, जिसमें उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर भी शामिल है, उसे हटा दिया जाना चाहिए और उसे पढ़कर सुनाया जाना चाहिए; उसे तीन भागों में से प्रत्येक पर हस्ताक्षर करना होगा, या यदि वह लिख नहीं सकता है, तो उसे अपना निशान या अंगूठे का निशान बनाना होगा। यदि कोई लिखित रिपोर्ट प्राप्त होती है तो एक सटीक प्रति बनाई जानी चाहिए, लेकिन संदेशवाहक के हस्ताक्षर या चिह्न को लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी मामलों में, स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को तीन भागों में से प्रत्येक पर हस्ताक्षर करना चाहिए और प्रत्येक पर स्टेशन की मुहर लगनी चाहिए। तीन प्रतियों की प्रति पुस्तक में रहेगी; डुप्लिकेट कॉपी उस व्यक्ति को दी जाएगी जो मौखिक रूप से रिपोर्ट करता है या लिखित रिपोर्ट लाता है; मूल पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तत्काल मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में मूल लिखित रिपोर्ट (यदि कोई हो) संलग्न होगी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट को तब तक विलंबित करने की प्रथा जब तक उन्हें विशेष या सामान्य डायरी से जुड़े मुख्यालय में नहीं भेजा जा सकता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है और निषिद्ध है।

यदि उपखंड का कोई सहायक या उप अधीक्षक प्रभारी है, और जिले के मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर तैनात है, तो मूल को उसके माध्यम से मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए।

-----

102. जब एक गैर-संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट की जाती है, तो रिपोर्ट के महत्वपूर्ण हिस्से को गैर-संज्ञेय अपराध (पुलिस फॉर्म संख्या-347) की रिपोर्ट के लिए चेक रसीद बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। सूचनाकर्ता को दो प्रतियों में से प्रत्येक पर हस्ताक्षर करने या अपना निशान लगाने की आवश्यकता होनी चाहिए। डुप्लिकेट प्रति उसे दी जानी चाहिए, मूल पुस्तक में शेष है। रिपोर्ट का सार सामान्य डायरी में दर्ज किया



जाना चाहिए, और, यदि रिपोर्ट लिखित रूप में है, तो उचित विवरण डायरी से संलग्न किया जाना चाहिए। सूचना देने वाले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(2 वर्ष 1974) की धारा 155 के अनुसार मजिस्ट्रेट के पास भी भेजा जाना चाहिए।

103. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(2 वर्ष 1974) की धारा 154 और 155(1) द्वारा थाना के प्रभारी अधिकारी पर लगाई गई जिम्मेदारी या गैर-संज्ञेय, लागू की जाएगी, और उसे दर्ज की गई किसी भी तरह की सभी रिपोर्टों पर प्रतिहस्ताक्षर करना होगा।

14. इस मामले में, विवेचनाधिकारी ने मामले की जांच की और पाया कि पत्नी/अभियुक्त-आवेदिका के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 504 एवं 507 के अंतर्गत कोई मामला सिद्ध नहीं होता है। तत्पश्चात्, उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) (समतुल्य धारा 193(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अधीन दिनांक 19.06.2024 को पुलिस प्रतिवेदन/अंतिम प्रतिवेदन (क्लोजर रिपोर्ट) तैयार कर मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया, बिना भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 177 एवं 182 (समतुल्य धाराएँ 212 एवं 217 भारतीय न्याय संहिता, 2023) के अंतर्गत मिथ्या सूचना प्रदान किए जाने के संबंध में किसी लिखित परिवाद के, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(क) (समतुल्य धारा 215(1)(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) में उपबंधित है।

15. धारा 177 और 182 भ०द०वि० (बी.एन.एस. की धारा 212 और 217 के अनुरूप) को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात्, यदि कोई झूठी जानकारी लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से प्रस्तुत की जाती है, तो विवेचनाधिकारी धारा 195(1)(ए) द०प्र०स० (संबंधित धारा 215(1)(ए) के तहत प्रदान की गई/आवश्यक शिकायत के रूप में एक पुलिस रिपोर्ट भी तैयार करेगा बी.एन.एस.एस.)। इस प्रकार, प्राथमिकी या एन.सी.आर. दर्ज करने के लिए पुलिस को गलत सूचना देना भ०द०वि० की धारा 177 और 182 (संबंधित धारा 212 और 217 बी.एन.एस.) के तहत प्रदान किया गया अपराध है और यदि जांच के बाद, विवेचनाधिकारी को पता चलता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जैसा कि प्राथमिकी या एन.सी.आर. में आरोप लगाया गया है, तो विवेचनाधिकारी वैधानिक दायित्व के अधीन है, न केवल अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, बल्कि धारा 177 और 182 भ०द०वि० (संबंधित धारा 212 और 217 बी.एन.एस.) के अपराध की रिपोर्ट भी शिकायत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, जैसा कि धारा 195(1)(ए) द०प्र०स० (बी.एन.एस.एस. की संबंधित धारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



215(1)(ए) के तहत प्रदान किया गया है। अन्यथा, संबंधित पुलिस अधिकारी धारा 199 (बी) बी.एन.एस. (द०प्र०स० की संबंधित धारा 166 ए (बी) के तहत उल्लिखित अपराध करने के लिए उत्तरदायी हैं। धारा 199 बी.एन.एस. को नीचे दर्शाया गया है: -

सेक्शन: 199 लोक सेवक द्वारा कानून के तहत निदेश की अवहेलना

जो भी हो, एक लोक सेवक होने के नाते-

(क) जानबूझकर कानून के किसी निदेश की अवहेलना करता है जो उसे किसी अपराध या किसी अन्य मामले की जांच के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा करने से निषिद्ध करता है; या

(ख) जानबूझकर किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के कारण, विधि के किसी अन्य निदेश की अवज्ञा करता है जिसमें वह ऐसी जांच करेगा; या

(ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 174 की उपधारा (1) के तहत उसे दी गई किसी भी सूचना को धारा 64, धारा 65 धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 71, धारा 73, धारा 76, धारा 122 या धारा 141 या धारा 142 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में दी गई किसी भी सूचना को अभिलेखों करने में विफल रहता है, तो उसे उस अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो छह महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे दो साल, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

16. न्यायिक मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह धारा 177 और 182 भ०द०वि० (संगत धारा 212 और 217 बी.एन.एस.) के तहत लिखित शिकायत के साथ नहीं है। कार्यवाही केवल एक उचित शिकायत दर्ज करने पर शुरू की जा सकती है, जो धारा 195(1)(ए) द०प्र०स० (संबंधित धारा 215(1)(ए) बी.एन.एस.एस. के अनुरूप सिद्धांत के अनुरूप है। भ०द०वि० की धारा 177 और 182 (संबंधित धारा 212 और 217 बी.एन.एस.) और धारा 195(1) द०प्र०स० (संबंधित धारा 215(1) बी.एन.एस.एस.) नीचे पुनः प्रस्तुत की जा रही है: -

"भारतीय दंड संहिता की धारा 177 झूठी सूचना प्रस्तुत करना - जो कोई भी किसी लोक सेवक को किसी विषय पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, इस प्रकार उस विषय पर सत्य के रूप में सूचना प्रस्तुत करता है, जिसे वह जानता है या जिसके बारे में उसे असत्य मानने का कारण है, उसे एक ऐसी



अवधि के लिए साधारण कारावास से मुक्त किया जाएगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ;

या, यदि वह सूचना जो वह कानूनी रूप से देने के लिए बाध्य है, किसी अपराध के गठन के संबंध में है, या किसी अपराध के गठन को रोकने के उद्देश्य से आवश्यक है, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, या तो किसी भी विवरण के कारावास के साथ एक अवधि के लिए जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

-----

"धारा 182 भ०द०वि० झूठी जानकारी, लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से - जो कोई भी लोक सेवक को कोई ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता है या गलत मानता है, जिससे वह ऐसा करने का इरादा रखता है, या यह जानते हुए कि वह इस तरह के लोक सेवक का कारण बनेगा-

(क) ऐसा कुछ करना या छोड़ना जो ऐसे लोक सेवक को नहीं करना चाहिए या छोड़ना चाहिए यदि तथ्यों की वास्तविक स्थिति जिसके संबंध में ऐसी जानकारी दी गई है, उसे पता था, या

(ख) किसी व्यक्ति को चोट या हानि पहुंचाने के लिए ऐसे लोक सेवक की विधिसम्मत शक्ति का प्रयोग करना,

किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से।

-----

सेक्शन; बी.एन.एस. की धारा 212 - जो को, किसी भी लोक सेवक को किसी भी विषय पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, उस विषय पर सत्य के रूप में सूचना प्रस्तुत करता है, जिसे वह जानता है या जिसके पास झूठ मानने का कारण है, -



(क) एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से;

(ख). जहां वह सूचना जो कानूनी रूप से किसी अपराध के गठन के संबंध में देने के लिए बाध्य है, या किसी अपराध के गठन को रोकने के उद्देश्य से आवश्यक है, या किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए, किसी भी विवरण के कारावास के साथ, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

-----

बी.एन.एस. की धारा 217 - गलत जानकारी, लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से - जो कोई भी लोक सेवक को कोई ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता है या गलत मानता है, जिससे वह ऐसा व्यक्ति पैदा करेगा, या यह जानते हुए कि वह इस प्रकार ऐसा लोक सेवक का कारण बनेगा -

(क) ऐसा कुछ भी करना या छोड़ना जो ऐसे लोक सेवक को नहीं करना चाहिए या छोड़ना चाहिए यदि तथ्यों की सही स्थिति जिसके संबंध में ऐसी जानकारी दी गई है, उसे पता था; या

(ख) किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या हानि के लिए ऐसे लोक सेवक की विधिसम्मत शक्ति का प्रयोग करना,

किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकता है, या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से।

-----

धारा 195(1) द०प्र०स० कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा-

(क)(i) भारतीय दंड संहिता (45 वर्ष 1860) की धारा 172 से 188 (दोनों समावेशी)

के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, या



(ii) किसी भी दुष्प्रेरण का, ऐसा अपराध करने का प्रयास, या

(iii) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का,

संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक की लिखित शिकायत को छोड़कर, जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है;

(ख)(i) भारतीय दंड संहिता (45 वर्ष 1860) की निम्नलिखित में से किसी धारा के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का, अर्थात्, धारा 193 से 196 (दोनों समावेशी), 199, 200, 205 से 211 (दोनों समावेशी) और 228, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है, या

(ii) धारा 463 में वर्णित किसी अपराध का, या उक्त संहिता की धारा 471, धारा 475 या धारा 476 के तहत दंडनीय है, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में कार्यवाही में साक्ष्य में प्रस्तुत या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज के संबंध में किया गया है, या

(iii) उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध को करने या करने का प्रयास करने या करने का प्रयास करने के लिए किसी भी आपराधिक षड्यंत्र का, उस न्यायालय की लिखित शिकायत को छोड़कर, या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा, जैसा कि वह न्यायालय इस संबंध में लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है, या किसी अन्य न्यायालय के अधीनस्थ है। .

-----

धारा 215(1) बी.एन.एस.एस. - कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा -

(क)(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 206 से 223 (दोनों समावेशी लेकिन धारा 209 को छोड़कर) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का; या

(ii) इस तरह के अपराध के किसी भी दुष्प्रेरण या प्रयास का; या

(iii) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का,

संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक की लिखित शिकायत को छोड़कर, जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है या किसी अन्य लोक सेवक की जो संबंधित लोक सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है;



(ख)(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित में से किसी भी धारा के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का, अर्थात्, धारा 229 से 233 (दोनों समावेशी), 236, 237, 242 से 248 (दोनों समावेशी) और 267, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है; या

(ii) धारा 336 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अपराध का, या धारा 340 की उपधारा (2) या उक्त संहिता की धारा 342 के तहत दंडनीय है, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में कार्यवाही में साक्ष्य में प्रस्तुत या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज के संबंध में किया गया है; या

(iii) उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध को करने या करने का प्रयास करने या करने का प्रयास करने के लिए किसी भी आपराधिक षड्यंत्र का, उस न्यायालय की लिखित शिकायत को छोड़कर या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वह न्यायालय इस संबंध में लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है, या किसी अन्य न्यायालय के अधीन है।

17. पंजाब राज्य बनाम राज सिंह और अन्य, (1998) 2 उच्चतम न्यायालय 391 के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, हालांकि बी.एन.एस.एस. (द०प्र०स० की संबंधित धारा 154) की धारा 173 के तहत एक प्राथमिकी को धारा 172 से 188 भ०द०वि० के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। धारा 209 बी.एन.एस. (संबंधित धारा 174 ए भ०द०वि०) को छोड़कर और उसके बाद जांच की जा सकती है, लेकिन जांच के समापन के बाद उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, भले ही कथित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध किया गया हो, जबकि संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 195 द०प्र०स० (बी.एन.एस.एस. की संबंधित धारा 215) के तहत आवश्यक लिखित शिकायत दर्ज की जाएगी। उक्त निर्णय का प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किया गया है: -

"2. हम उच्च न्यायालय के उस आक्षेपित आदेश को बनाए रखने में असमर्थ हैं, जिसमें प्रतिपक्षियों के खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक दीवानी मुकदमे की कार्यवाही के दौरान धारा 467 और 468 भ०द०वि० के तहत अपराध करने का आरोप लगाया था, इस आधार पर कि धारा 195(1)(बी)(ii) द०प्र०स० ने पुलिस



द्वारा इसके मनोरंजन और जांच को प्रतिबंधित किया है। द०प्र०स० की धारा 195 के एक सादे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह उस स्तर पर परिचालन में आता है जब न्यायालय धारा 190(1) द०प्र०स० के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने का इरादा रखता है; और इसका प्राथमिकी की जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना-देना नहीं है, जो संहिता के अध्याय XII के अनुसार एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है, भले ही अपराध अदालत में किसी भी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया हो। दूसरे शब्दों में, संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से द०प्र०स० की धारा 195 द्वारा नियंत्रित या सीमित नहीं है। यह निश्चित रूप से सच है कि इस तरह के अपराध की जांच पूरी होने पर दायर आरोप-पत्र (चालान), यदि कोई हो, पर न्यायालय धारा 195(1)(बी) द०प्र०स० के प्रतिबंध को देखते हुए इसका संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ भी न्यायालय को प्राथमिकी (पीड़ित निजी पक्ष द्वारा दायर) और उसके दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने से नहीं रोकता है जांच, बशर्ते कि यह अपेक्षित राय बनाता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है। **गोपाल कृष्ण मेनन और अन्य बनाम डी. राजा रेड्डी [ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 1053]** में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था, के पास तत्काल मामले के तथ्यों पर आवेदन करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वहां एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया गया था, भले ही दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत धन रसीद के संबंध में जालसाजी का अपराध किया गया था और इसलिए यह माना गया कि न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है धारा 195 द०प्र०स० के मददेनजर ऐसी शिकायत पर संज्ञान लें।

18. अपराध हमेशा राज्य के खिलाफ होता है, इसलिए, यदि विवेचनाधिकारी धारा 193 (3) बी.एन.एस.एस. (संबंधित धारा 173(2) द०प्र०स० के तहत पुलिस रिपोर्ट/अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) प्रस्तुत कर रहा है, तो वह धारा 212 और 217 बी.एन.एस. (संबंधित धारा 177 और 182 भ०द०वि०) के तहत लिखित शिकायत के रूप में पुलिस रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा, सूचनाकर्ता और गवाहों के खिलाफ। धारा 212 और 217 बी.एन.एस. (संबंधित धारा 177 और 182 भ०द०वि०) के तहत लिखित शिकायत के रूप में पुलिस रिपोर्ट का प्रारूप, जैसा कि धारा 215(1)(ए) बी.एन.एस.एस.



(संबंधित धारा 195(1)(ए) द०प्र०स० के तहत प्रदान किया गया है, झूठी सूचना के मामले में, पुलिस को हिंदी भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के लिए नीचे दर्शाया गया है: -

प्रारूप

न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट /पवशेष न्यायालय, जिला .....

परिवाद संख्या ..... वर्ष 20.....

(अंतर्गत धारा 2(1)( ज), 210 (1) (क), 215 (1) (क), 223, 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

( समतुल्य अंतर्गत धारा 2(घ), 190(1)(क), 195 (1)(क), 200, 202 द० प्र० स०) असभ्योग अंतर्गत धारा 212 एवं 217 भारतीय न्याय संहिता , 2023 चलाने के संबंध में

(समतुल्य धारा 177 एवं 182 भा० द० स०)

प्रकरण में:

राज्य द्वारा, पववेचक अचर्कारी के माध्यम से..... (नाम; पद: थाना)

..... परिवादी / विवेचक

बनाम

असभ्युक्त/सूचनाकतातएवंअन्य का नाम ( जिसनेझूठी जानकारी उपलब्ध कराई ) एवंपूणतपता ..... प्रतवादीगण /असभ्युक्तगण / सूचनाकर्ता एवं साक्षीगढ़

महोदय,

अत्यंत विनम्र निवेदन है कि:

1. यह कि वर्तमान परिवाद पत्र/प्रार्थना पत्र प्रार्थी (विवेचक) द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 एवं 217 (समतुल्य धारा 177 एवं 182 भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले वादी एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि वादी ने झूठी जानकारी/तथ्यों/प्रपत्रों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R एवं N.C.R.) (मुकदमा अपराध संख्या जनपद, दर्ज कराकर, उसमें वर्णित अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस अधिकारी (लोक सेवक) से उसकी वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कराकर क्षति पहुंचाया। वर्ष धारा थाना

2. यह कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (संज्ञेय असंज्ञेय अपराध) दिनांक संख्या सन अंतर्गत धारा को मुकदमा अपराध एवं थाना भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत श्री अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध, प्रतिवादी सूचनादाता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पंजीकृत की गई थी, जो विवेचना उपरांत असत्य पाई गई। तदोपरांत उसमें अंतिम आख्या तैयार कर न्यायालय भेजी जा रही है।



3. यह कि विस्तृत विवेचना उपरांत यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः असत्य, निराधार एवं दुर्भावनापूर्ण थे, जिन्हें केवल नामजद व्यक्तियों को क्षति पहुँचाने के आशय से दर्ज कराया गया था। (तथ्य संलग्नित केस डायरी में उपलब्ध है)

4. यह कि विवेचना से निम्नलिखित तथ्य प्रतिपन्न हुए-

(i) प्रतिवादी द्वारा दिनांक \_\_\_\_\_ समय \_\_\_\_\_ बजे को स्थान \_\_\_\_\_ पर घटना \_\_\_\_\_

घटित होना नहीं पाया गया।

(ii) स्वतंत्र गवाहों के कथन प्रतिवादी/ सूचनाकर्ता के कथन को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं।

(iii) विवेचना के दौरान संकलित अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हैं।

(iv) प्रतिवादी की नामजद व्यक्तियों से पूर्ववर्ती शत्रुता थी, जो गवाहों के कथनों से स्पष्ट होता है।

(v) प्रतिवादी द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से असत्य जानकारी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR/NCR) दर्ज कराया गया।

5. यह कि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, दिनांक ../../20... को अंतिम आख्या (Closure Report) इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R./N.C.R.) असत्य एवं दुर्भावनापूर्वक संस्थापित की गई थी।

6. यह कि प्रतिवादी का आचरण स्पष्ट रूप से भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत, धारा 212 एवं 217 (धारा 177 एवं 182 भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त धाराएं निम्नवत उद्धृत किया जा रहा है :-

भारतीय न्याय संहिता की धारा 212. मिथ्या सूचना देना- जो कोई, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी विषय पर सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, उस विषय पर सच्ची सूचना के रूप में ऐसी सूचना देता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है:- (क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा;

(ख) वह सूचना, जिसे देने के लिए वह विधिक रूप से आबद्ध है, कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 217- इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक अपनी सेवक विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे जो कोई, किसी लोक सेवक को कोई ऐसी सूचना, जिसके मिथ्या होने का उसे जान या विश्वास है, इस आशय से देता है कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे या यह सम्भाव्य जानते हुए देता है कि वह उसको उसके द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोक सेवक, यदि उसे उस संबंध में, जिसके बारे में ऐसी सूचना दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता; या

(ख) ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो,

वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

7. यह कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 215(1) (a), (समतुल्य धारा 195(1) (क) भारतीय प्रक्रिया संहिता) की धारा के अधीन, कोई भी न्यायालय उक्त अपराधों का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि संबंधित लोक सेवक द्वारा लिखित रूप में शिकायत प्रस्तुत न की जाए।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215 (1) को निम्नवत उद्धृत किया जा रहा है:-

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215 (1) कोई न्यायालय, -

(क) (1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 206 से धारा 223 (जिनके अंतर्गत धारा 209 के सिवाय ये दोनों धाराएं भी हैं) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या

(ii) ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या ऐसा अपराध करने के प्रयत्न का; या

(iii) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का,

संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है या कोई अन्य लोक सेवक जो संबद्ध लोक सेवक

संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है या कोई अन्य लोक सेवक जो संबद्ध लोक सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं:

(ख) (i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं अर्थात् धारा 229 से धारा 233 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं), धारा 236, धारा 237, धारा 242 से धारा 248 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) और धारा 267 से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है; या

(ii) उक्त संहिता की धारा 336 की उपधारा (1) में वर्णित या धारा 340 की उपधारा (2) या धारा 342 के अधीन

दंडनीय अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए या साक्ष्य में दिए गए किसी दस्तावेज के बारे में किया गया है; या

(iii) उपखंड (i) या उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र या उसे करने के प्रयत्न या उसके दुष्प्रेरण के अपराध का, संज्ञान ऐसे न्यायालय के, या न्यायालय



के ऐसे अधिकारी के, जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे या किसी अन्य न्यायालय के, जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं।

### गवाहों की सूची

निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रतिवादी की मिथ्या एवं दुर्भावनापूर्ण मंशा को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में स्वीकार किए जाने की प्रार्थना है

1. पी० डब्ल्यू - 1: श्री [विवेचक (परिवादी) प्रथम सूचना रिपोर्ट। परिवादी स्वयं विवेचना अधिकारी-अंतिम रिपोर्ट एवं संपूर्ण

2. पी.डब्ल्यू.-2: श्री अन्वेषण श्रृंखला को सिद्ध करने हेतु।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा फंसाया गए अभियुक्तगण ।

3. पी.डब्ल्यू.-3: श्री (स्वतंत्र गवाह/पड़ोसी) - यह सिद्ध करने हेतु कि कथित घटना कभी घटित ही नहीं हुई।

4. पी.डब्ल्यू.-4: श्री (संबंधित अभिलेखीय दस्तावेजों के संरक्षक, जैसे शासकीय अभिलेख/सीसीटीवी इत्यादि) - प्रतिवादी के कथन की असत्यता सिद्ध करने हेतु ।

पी.डब्ल्यू.-5: श्री (सहायक पुलिस अधिकारी/अन्वेषण दल का सदस्य) अन्वेषण कार्यवाही को सिद्ध करने हेतु ।

(यह सूची उदाहरणार्थ है तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य गवाह भी जाँच/विचारण की कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए जा सकते हैं।)

### प्रार्थना

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि कृपया -

1. इस आवेदन को संपूर्ण केस डायरी सहित, भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 एवं 217 (धारा 177 एवं 182 भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत एक परिवाद (शिकायत) के रूप में ग्रहण किया जाए एवं धारा 210 (1)

(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (समतुल्य धारा 190 (1) (क) द० प्र० स०) में संज्ञान लेते हुए धारा 227 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (समतुल्य धारा 204 द० प्र० स०) में तलब कर दण्डित किया जाय ।

2. उपर्युक्त उल्लिखित साक्षियों की सूची अभिलेख पर लिया जाए तथा उपरोक्त गवाहों को धारा 223 एवं

2. उपर्युक्त उल्लिखित साक्षियों की सूची अभिलेख पर लिया जाए तथा उपरोक्त गवाहों को धारा 223 एवं 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत गवाही से अवमुक्त किया जाय जैसा कि धारा 223 (second Proviso) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में वर्णित है



3. न्यायहित में इस माननीय न्यायालय को जो अन्य आदेश आदेशावली उचित एवं आवश्यक प्रतीत हो, वह पारित करने की कृपा करें।

परिवादी

दिनांक

(विवेचक अधिकारी अ०स०.सन.. धारा)

नाम :-

पद :-

थाना जिला:

मोबाइल :-

सत्यापन में,

श्री \_\_\_\_\_, पुत्र श्री \_\_\_\_\_, जनपद \_\_\_\_\_ वततमान में थाना \_\_\_\_\_, पर न्युक्त, इस बात का सत्यापन करता हूँ की उपयुक्त परिवाद पत्र के विषय तथ्य वास्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी, की गई विवेचना एवं संधारित अभिलेखों के आधार पर सही एवं सत्य है। इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य गोपित नहीं रखा गया है। यह सत्यापन मैंने \_\_\_\_\_ में आज दिनांक \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ को किया।

परिवादी/विवेचक

नाम: \_\_\_\_\_

पद: \_\_\_\_\_

थाना: \_\_\_\_\_ जिला: \_\_\_\_\_

### परिशिष्टों की सूची

| क्र. सं. | अभिलेख का विवरण                                                                                      | परिशिष्ट संख्या |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | वाद अपराध सं- .....थाना .....का प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) की प्रतिलिपि संपूर्ण केस डायरी सहित। | परिशिष्ट-       |
| 2.       | विवेचक द्वारा दिनांक ..... को तैयार अन्तिम आय/समापन प्रतिवेदन                                        | परिशिष्ट-       |
| 3.       | अन्य कोई प्रासंगिक अभिलेख                                                                            | परिशिष्ट-       |

प्रारूप:

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायालय, जिला के न्यायालय में.....

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



शिकायत मामला संख्या..... सालों////////

(धारा 2(1)(एच), 210 (1)(ए), 215(1)(ए), 223 बी.एन.एस.एस.)

(धारा 2(डी), 190 (1)(ए), 195(1), 200 दंप्रंसं के अनुरूप)

(बी.एन.एस. की धारा 212 और 217 के तहत मुकदमा चलाने के लिए)

(धारा 177 और 182 भंडविं के अनुरूप)

के मामले में:

विवेचनाधिकारी के माध्यम से राज्य..... (नाम; रैंक; थाना)

..... आवेदक/शिकायतकर्ता

बनाम

[आरोपी व्यक्ति/सूचनाकर्ता और अन्य गवाहों का नाम (यानी झूठी सूचनाकर्ता प्रस्तुत की) और पूरा पता]

.. उत्तरदाताओं

सर

यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है:-

1. वर्तमान शिकायत शिकायतकर्ता/विवेचनाधिकारी द्वारा प्राथमिकी के कथित आरोपी व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के लिए लोक सेवक/पुलिस को अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के लिए गलत सूचना देने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट No.\_\_\_\_\_, Year\_\_\_\_\_ के तहत \_\_\_\_\_ मामला अपराध , के रूप में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट/गैर-संज्ञेय रिपोर्ट की शिकायत दर्ज की जा रही है।

2. प्राथमिकी/एन.सी.आर. को Shri\_\_\_\_\_, Shri\_\_\_\_\_ (विरोधी पक्षों/सूचनाकर्ता और गवाह) द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर बी.एन.एस., थाना \_\_\_\_\_ जिला o\_\_\_\_\_ Address\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ की धारा \_\_\_\_\_ के तहत no.\_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ के मामले में दर्ज किया गया था, जो जांच के बाद गलत पाया गया था।

3. गहन जांच करने पर, यह पाया गया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप झूठे, तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण थे, और केवल प्राथमिकी/एन.सी.आर. में नामित व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के इरादे से दर्ज किए गए थे (पूरी सामग्री संलग्न केस डायरी में उपलब्ध है)।

4. कि जांच से निम्नलिखित भौतिक तथ्यों का पता चला:

(i) घटना, जैसा कि प्रतिपक्षी द्वारा आरोप लगाया गया है कि वह on\_\_\_\_\_ at\_\_\_\_\_ हुई थी, जो कभी नहीं हुई।

(ii) स्वतंत्र गवाहों के बयान स्पष्ट रूप से प्रतिपक्षी/सूचनाकर्ता के बयान को नकारते हैं।

(iii) जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजी रिकार्ड प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के विपरीत हैं।

(iv) प्रतिपक्षी की नामित व्यक्तियों के साथ पूर्व शत्रुता थी, जो गवाहों के बयानों से स्पष्ट है।

(v) प्रतिपक्षियों ने गलत सूचना पर गुप्त उद्देश्य से प्राथमिकी दर्ज की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. जांच के मददेनजर, अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट दिनांक -//20- इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्राथमिकी के अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी झूठी और दुर्भावनापूर्ण रूप से स्थापित की गई थी।

6. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 177 और 182) की धारा 212 और 217 के तहत प्रदान किए गए अपराध को सूचनाकर्ता और गवाह का आचरण पूरी तरह से आकर्षित करता है: धाराएं यहां उद्धृत की गई हैं:

धारा 212 बी.एन.एस.। झूठी सूचना प्रस्तुत करना- जो को, किसी लोक सेवक को किसी भी विषय पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, उस विषय पर सत्य के रूप में सूचना प्रस्तुत करता है, जिसे वह जानता है या जिसके पास झूठ मानने का कारण है, -

(क) एक ऐसी अवधि के लिए साधारण कारावास से, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनों से;

(ख) जहां वह सूचना जो कानूनी रूप से किसी अपराध के गठन के संबंध में देने के लिए बाध्य है, या किसी अपराध के गठन को रोकने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, एक अवधि के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

धारा 217 बी.एन.एस. गलत जानकारी, लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से- जो कोई भी लोक सेवक को कोई ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता है या गलत मानता है, जिससे वह ऐसा लोक सेवक पैदा करेगा, या यह जानकर कि वह इस तरह के लोक सेवक का कारण बनेगा।

(क) ऐसा कुछ करना या छोड़ना जो ऐसे लोक सेवक को नहीं करना चाहिए या छोड़ना चाहिए यदि तथ्यों की सही स्थिति जिसके संबंध में ऐसी जानकारी दी गई है, उसे पता था, या

(ख) किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या हानि के लिए ऐसे लोक सेवक की विधिसम्मत शक्ति का प्रयोग करना,

किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकता है, या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से।

7. धारा 215(1)(ए) बी.एन.एस.एस. (संगत धारा 195(1)(ए)(i) द०प्र०स० के तहत, कोई भी न्यायालय संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत को छोड़कर बी.एन.एस. की धारा 212 और 217 (भ०द०वि० की संगत धारा 177 और 182) के तहत उल्लिखित अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा।

धारा 215(1) बी.एन.एस.एस. (द०प्र०स० की धारा 195(1) के अनुरूप) नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

धारा 215(1) बी.एन.एस.एस. - कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा -

(क) धारा 206 से 223 (दोनों समावेशी लेकिन

(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209 को छोड़कर; या

(ii) इस तरह के अपराध के किसी भी दुष्प्रेरण या प्रयास का; या

(iii) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक की लिखित शिकायत को छोड़कर, जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है या किसी अन्य लोक सेवक की जो संबंधित लोक सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है;

(ख) निम्नलिखित में से किसी भी धारा के तहत दंडनीय किसी अपराध के

(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023, अर्थात्, धारा 229 से 233 (दोनों समावेशी), 236, 237, 242 से 248 (दोनों समावेशी) और 267, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है; या

(ii) धारा 336 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अपराध का, या उक्त संहिता की धारा 340 की उपधारा (2) या धारा 342 के तहत दंडनीय है, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में कार्यवाही में साक्ष्य में प्रस्तुत या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज के संबंध में किया गया है; या

(iii) उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध को करने या करने का प्रयास करने या करने का प्रयास करने के लिए किसी भी आपराधिक षड्यंत्र का,

उस न्यायालय की लिखित शिकायत को छोड़कर या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वह न्यायालय इस संबंध में लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है, या किसी अन्य न्यायालय के अधीन है।

#### गवाहों की सूची

निम्नलिखित गवाहों को विरोधी पक्षों/सूचनाकर्ता और गवाह के झूठ और दुर्भावनापूर्ण इरादे को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में माना जा सकता है।

1. अंसा०-1: श्री \_\_\_\_\_ S/ओ \_\_\_\_\_ दुर्भावनापूर्ण शिकायतकर्ता/विवेचनाधिकारी के साथ प्राथमिकी में पता \_\_\_\_\_ implicated - अंतिम रिपोर्ट और जांच की पूरी श्रृंखला को साबित करने के लिए।

2. अंसा०-2: श्री \_\_\_\_\_ S/ओ \_\_\_\_\_ Address \_\_\_\_\_ (स्वतंत्र गवाह/पड़ोसी) - यह साबित करने के लिए कि कथित घटना कभी नहीं हुई थी।

3. अंसा०-3: श्री \_\_\_\_\_ (प्रासंगिक दस्तावेजी अभिलेखों के संरक्षक, जैसे, आधिकारिक रजिस्टर / सीसीटीवी आदि) - प्रतिपक्षी के संस्करण की असत्यता साबित करने के लिए।

4. अंसा०-4: श्री \_\_\_\_\_ (सहायक पुलिस अधिकारी/जांच दल के सदस्य) - जांच की कार्यवाही को साबित करने के लिए। (सूची उदाहरणात्मक है और पूछताछ/मुकदमे के दौरान आवश्यक होने पर अधिक गवाहों को पेश किया जा सकता है।)

#### प्रार्थना

उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, इस माननीय न्यायालय के समक्ष सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि: .

1. यह आवेदन, पूरी केस डायरी के साथ, कृपया बी.एन.एस. की धारा 212 और 217 (भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 177 और 182) के तहत शिकायत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 210(1)(ए)(दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धारा 190(1)(ए)) के तहत संज्ञान लेने और बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 227 (दं०प्र०स० की संबंधित धारा 204) के तहत प्रक्रिया जारी करने और आरोपी को समन और दंडित करने की कृपा करते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. उपर्युक्त गवाहों और अभियुक्त व्यक्तियों की सूची को अभिलेखों पर लिया जाए और गवाहों को बी.एन.एस.एस. की धारा 223 और 225 (संबंधित धारा 200 (परंतुक) द०प्र०स० के तहत अपने बयान दर्ज करने की छूट दी जाए, जैसा कि बी.एन.एस.एस. की धारा 223 (दूसरा परंतुक) के तहत प्रदान किया गया है और आरोपी को समन किया जाता है, जिसने पुलिस को झूठी जानकारी दी थी ताकि वह प्राथमिकी के कथित आरोपी को चोट पहुंचाने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग कर सके।

3. ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित और उचित समझे। दिनांक:\_\_\_\_\_

शिकायतकर्ता

(विवेचनाधिकारी)

नाम:\_\_\_\_\_

रैंक:\_\_\_\_\_

थाना:\_\_\_\_\_

जिला-----

मोबाइल नंबर:\_\_\_\_\_

#### सत्यापन

मैं, श्री \_\_\_\_\_, श्री \_\_\_\_\_ का पुत्र, जो वर्तमान में \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ थाना में \_\_\_\_\_ के रूप में तैनात है, एतद्वारा सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शिकायत की सामग्री मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही और सही है, जो की गई जांच और बनाए गए अभिलेखों के आधार पर है। कुछ भी सामग्री छिपाई नहीं गई है। \_\_\_\_\_ के इस \_\_\_\_\_ दिन place \_\_\_\_\_ पर सत्यापित, 20.

तारीख:-

शिकायतकर्ता

(विवेचनाधिकारी)

नाम:\_\_\_\_\_

रैंक:\_\_\_\_\_

थाना:\_\_\_\_\_

जिला-----

#### अनुलग्नकों का सूचकांक

| क्रम<br>संख्या | दस्तावेज़ का विवरण | Annexure.No/ |
|----------------|--------------------|--------------|
|                |                    |              |

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



|    |                                                                                    |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | केस अपराध नंबर--/--, पीएस----- की प्राथमिकी की<br>सच्ची कॉपी पूरी केस डायरी के साथ | संलग्नक |
| 2. | आईओ द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर<br>रिपोर्ट---- दिनांक ----20           | संलग्नक |
| 3  | . कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज                                                      | संलग्नक |

19. धारा 173 द०प्र०स०(2)(बी.एन.एस.एस. की संबंधित धारा 193(3) के तहत, न तो 'आरोप पत्र' शब्द का उल्लेख किया गया है और न ही 'अंतिम रिपोर्ट' या 'क्लोजर रिपोर्ट' का उल्लेख किया गया है, जांच पूरी होने के बाद केवल 'पुलिस रिपोर्ट' शब्द का उल्लेख किया गया है।

20. द०प्र०स० के साथ-साथ बी.एन.एस.एस. में इस्तेमाल किया गया "पुलिस रिपोर्ट" शब्द धारा 173(2)(बी.एन.एस.एस. की संबंधित धारा 193(3) के तहत जांच पूरी होने के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट को संदर्भित करता है। यदि पुलिस रिपोर्ट में किसी अपराध के गठन का खुलासा होता है, तो, यूपी पुलिस विनियमन, प्रस्तर 122 के अनुसार, इसे एक आरोप पत्र के रूप में माना जाएगा, जिसे फॉर्म संख्या-339 में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, यदि रिपोर्ट किसी भी अपराध के गठन का खुलासा नहीं करती है, तो इसे प्रस्तर 122 के तहत अंतिम रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा और यूपी पुलिस विनियमों के फॉर्म संख्या-340 में प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों का प्रस्तर 122 नीचे उद्धृत किया गया है: -

"122. जांच पूरी करना और अंतिम रिपोर्ट या आरोप पत्र प्रस्तुत करना जल्द से जल्द होना चाहिए। - (i) जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए और जब जांच पूरी हो जाए तो विवेचनाधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(2 वर्ष 1974) की धारा 161-171 और 173 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। धारा 173 द्वारा निर्धारित रिपोर्ट उस धारा के तहत थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचित करके प्रस्तुत की जानी चाहिए और आरोप पत्र (पुलिस फॉर्म संख्या-339) के रूप में होनी चाहिए, यदि मामले को मुकदमे के लिए भेजा जाता है और अंतिम रिपोर्ट (पुलिस फॉर्म संख्या-340) के रूप में, अगर मामले को मुकदमे के लिए नहीं भेजा जाता है। मामलों में अंतिम डायरी के साथ आरोप पत्र सर्किल अधिकारी और लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और समन और वारंट मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर और सत्र मामलों में आठ सप्ताह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के भीतर न्यायालय पहुंचना चाहिए। किसी भी सर्किल अधिकारी और लोक अभियोजक को सामान्य रूप से एक सप्ताह से अधिक समय तक आरोप-पत्र नहीं रखना चाहिए और बाद वाले को इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत विशेष कारणों को छोड़कर निर्धारित समय-सीमा को पार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ii) यथाशीघ्र लेकिन किसी भी स्थिति में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रपत्र में और डुप्लीकेट में उन मामलों की त्रैमासिक सूची प्रस्तुत करेगा जिनमें 4/8 सप्ताह की निर्धारित समय-सीमा के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जिला मजिस्ट्रेट इसे रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक को भेजेंगे और अपनी टिप्पणियों के साथ दूसरी प्रति का समर्थन करते हुए डिवीजन के आयुक्त को भेजेंगे। इसके बाद रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक निर्धारित प्रपत्र में विलंबित मामलों का विवरण संकलित करेंगे और इसे पुलिस महानिरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे जो इसे अपनी टिप्पणियों के साथ गृह विभाग (पुलिस ए) में सरकार को अग्रेषित करेंगे।

(iii) सभी मामलों में अंतिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(iv) जांच के परिणाम के रूप में जानकारी, धारा 173(i)(b), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(2 वर्ष 1974) द्वारा थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को पुलिस फॉर्म संख्या-47 में यदि कोई हो, तो उस समय भेजी जानी चाहिए, जब वह आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जैसा भी मामला हो।

21. झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में, यदि पुलिस को गलत सूचना देने के लिए धारा 215(1)(ए) बी.एन.एस.एस. (संबंधित धारा 195(1)(ए) द०प्र०स० ) के तहत सूचना देने वाले और गवाह के खिलाफ एक लिखित शिकायत विवेचनाधिकारी द्वारा दर्ज नहीं की जाती है, तो यह राशि विवेचनाधिकारी द्वारा धारा 212 और 217 बी.एन.एस. (भ०द०वि० की संबंधित धारा 177 और 182) के तहत दर्ज नहीं की जाती है। थानाध्यक्ष, क्षेत्र के सर्कल ऑफिसर और संबंधित अभियोजन अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ अवमानना की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हैं।



22. इस प्रकार, 'आरोप पत्र' और 'फाइनल रिपोर्ट' शब्द उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों से उत्पन्न होते हैं, न कि द०प्र०स० या बी.एन.एस.एस. से।

23. इस मामले में, प्रतिपक्षी संख्या-2 (आवेदक के पति) ने 22.10.2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की अदालत के समक्ष विरोध याचिका दायर की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया और अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) पर संज्ञान लिया, इसे संज्ञेय अपराध की आरोप पत्र के रूप में मानते हुए, साथ ही धारा 190(1)(बी) द०प्र०स० (संवाददाता धारा 210 (1)(बी) बी.एन.एस.एस. के तहत एक राज्य का मामला है, जबकि भ०द०वि० की धारा 504 और 506 के तहत अपराध एक गैर-संज्ञेय अपराध है, जिसमें धारा 2(डी) स्पष्टीकरण द०प्र०स० का प्रावधान है। दिनांक 23.10.2024 के संज्ञान-सह-समन आदेश में भी इसका उल्लेख किया गया है। दिनांक 23.10.2024 के आदेश का प्रभावी / क्रियात्मक भाग नीचे दर्शाया गया है:

*"प्रार्थी डा० महमूद आलम खान का प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या 225/2024, दिनांकित 19-06-2024 निरस्त की जाती है। अभियुक्तगण उम्मे फारवा व अफजल खान के विरुद्ध धारा 190 (1)(बी) द०प्र०स० के अधीन भा०द०स० की धारा 504, 507 के अन्तर्गत विचारण हेतु संज्ञान लिया जाता है। प्रकरण स्टेट केस के रूप में चलेगा। अभियुक्तगण के लिये नकलें तैयार करायी जायें। अभियुक्तगण जरिये सम्मन नियत दिनांक के लिए तलब हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 09-12-2024 को पेश हो।" दिनांक: 23.10.2024.*

24. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 23.10.2024 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(ख) (समतुल्य धारा 210(1)(ख), बी.एन.एस.एस.) के अधीन आवेदिका/अभियुक्त-पत्नी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 504 एवं 507 के अंतर्गत अभियोजन हेतु संज्ञान ग्रहण किया तथा प्रकरण को परिवाद वाद के स्थान पर राज्य वाद के रूप में ग्रहण किया, जबकि उक्त अपराध गैर-संज्ञेय हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(द) की व्याख्या (समतुल्य धारा 2(1)(ह) की व्याख्या, बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के प्रथम उपबंध में प्रदत्त सुनवाई के अवसर के बिना ही अभियुक्त को समन भी जारी कर दिया गया, जबकि इस न्यायालय की खण्डपीठ ने दीपु एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2024) 8 आई.एल.आर.ए. 903 (दाण्डिक विविध रिट याचिका संख्या 12287/2024) के निर्णय



के पैरा 16(iii) में यह प्रतिपादित किया है कि 01.07.2024 को या उसके पश्चात् लंबित विवेचना में संज्ञान बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अनुसार ही लिया जाएगा।

25. दंड प्रक्रिया संहिता या बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अनुसार, गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में, सबसे पहले एक एन.सी.आर. धारा 155(1) द०प्र०स० (संबंधित धारा 174(1) बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किया जाता है और धारा 155 (2) द०प्र०स० (संबंधित धारा 174(2) बी.एन.एस.एस. के अनुसार, पुलिस अधिकारी संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना मामले की जांच नहीं कर सकता है। एन.सी.आर. में जांच के बाद, यदि गैर-संज्ञेय अपराध के तहत फिर से आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो द०प्र०स० की धारा 2(डी) स्पष्टीकरण के अनुसार। फिर धारा 190 (1)(ए) द०प्र०स० [संबंधित धारा 210 (1)(ए)] के तहत शिकायत के मामले के रूप में संज्ञान लेना होगा, न कि धारा 190 (1)(बी) द०प्र०स० के तहत पुलिस मामले के रूप में। प्रस्तुत मामले में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया है और एक गैर-संज्ञेय अपराध को संज्ञेय अपराध के रूप में माना है। इस न्यायालय ने पहले प्रेमपाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 1624 वर्ष 2025 के तहत आवेदन ने 26.11.2025 को एक आदेश पारित किया, जिसमें धारा 2(डी) स्पष्टीकरण द०प्र०स० (संबंधित धारा 2 (1)(एच) बी.एन.एस.एस. के स्पष्टीकरण पर एक विस्तृत निर्देश दिया गया।

26. धारा 190 द०प्र०स० (संबंधित धारा 210 बी.एन.एस.एस.) के तहत संज्ञान लेने से पहले, न्यायिक मजिस्ट्रेट इस मामले को देखने के लिए बाध्य है, क्या मामला धारा 468 और 469 द०प्र०स० (संबंधित धारा 514 और 515 बी.एन.एस.एस.) के अनुसार काल-बाधित है या नहीं। धारा 190(1)(ए) [संबंधित धारा 210 (1)(ए)] के तहत संज्ञान लेने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामले को शिकायत के मामले के रूप में आगे बढ़ाना होगा और यदि शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है तो शिकायतकर्ता के बयान के साथ-साथ गवाह के बयान को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि धारा 200 द०प्र०स० के पहले प्रावधान (संबंधित धारा 223 दूसरा परंतुक बी.एन.एस.एस.) के तहत प्रदान किया गया है और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (समतुल्य धारा 225, बी.एन.एस.एस.) के प्रावधानों के अनुसार भी कार्यवाही कर सकते हैं, अर्थात् वे या तो स्वयं जाँच कर सकते हैं अथवा प्रकरण के तथ्यों के सत्यापन हेतु विवेचना कराए जाने का निर्देश दे सकते हैं, ताकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 (समतुल्य



धारा 226, बी.एन.एस.एस.) के अधीन परिवाद निरस्त करने अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 (समतुल्य धारा 227, बी.एन.एस.एस.) के अधीन समन जारी करने के संबंध में उचित आदेश पारित किया जा सके। साथ ही, 01.07.2024 से प्रभावी बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के प्रथम उपबंध के अनुसार, संज्ञान ग्रहण करने अथवा प्रस्तावित अभियुक्त को समन जारी करने से पूर्व अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करना भी आवश्यक होगा।

27. धारा 504 और 507 भ०द०वि० (बी.एन.एस. की धारा 352 और 351 (4) दोनों दो साल तक दंडनीय हैं, इसलिए, धारा 2(डब्ल्यू) द०प्र०स० के अनुसार, (संगत धारा 2 (1)(x) बी.एन.एस.एस.) यह एक समन मामला है और वारंट मामला नहीं है। धारा 2(x) द०प्र०स० के अनुसार, (संबंधित धारा 2(1)(जेड) बी.एन.एस.एस.) वारंट मामले का अर्थ है एक ऐसा अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। इस प्रकार, चूंकि प्रस्तुत मामले में सजा केवल दो साल तक है, इसलिए, यदि प्रथम दृष्टया मामला अपराधों से बना है, मामले को समन मामले के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

28. समन के मामले में, यदि शिकायतकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो शिकायतकर्ता को शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति या उसकी मृत्यु के मामले में धारा 256 द०प्र०स० (संबंधित धारा 279 बी.एन.एस.एस.) के तहत बरी किया जा सकता है और धारा 257 द०प्र०स० (संबंधित धारा 280 बी.एन.एस.एस.) के तहत शिकायत वापस लेने का भी प्रावधान है।

29. यह वह मामला है, जहां प्रथम दृष्टया, अदालत की प्रक्रिया के साथ-साथ उस संहिता का दुरुपयोग होता है जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, जिन्होंने विरोध याचिका पर आक्षेपित संज्ञान आदेश पारित किया और गैर-संज्ञेय अपराधों में पुलिस मामले के रूप में कार्यवाही की, बल्कि एक शिकायत के रूप में।

30. प्रस्तुत मामले में, शुरु में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, भले ही आरोपों में केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया था, जिसके लिए केवल एक एन.सी.आर. दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके बावजूद, विवेचनाधिकारी मामले की जांच के लिए आगे बढ़े और एक अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) प्रस्तुत की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बी.एन.एस.एस.) (द०प्र०स० की संबंधित धारा 2(डी) स्पष्टीकरण) की धारा 2(1)(एच) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, जब एक गैर-संज्ञेय मामले के संबंध में एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



है, तो ऐसी रिपोर्ट को शिकायत के रूप में माना जाना आवश्यक है, और इसे प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाता है। तदनुसार, प्रस्तुत मामले में दायर की गई अंतिम रिपोर्ट को, कानूनी प्रक्रिया के मामले के रूप में, यदि अपराध किया जाता है, तो शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए।

31. यदि पूरी केस डायरी के अवलोकन के बाद, एक संज्ञेय अपराध बनता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट अंतिम/क्लोजर रिपोर्ट को आरोप पत्र के रूप में मानेंगे और आई.पी.ओ. की मनमानी की जांच करने के लिए धारा 190 द०प्र०स० (बी.एन.एस.एस. की संबंधित धारा 210) के तहत संज्ञान लेंगे। यदि इसे अंतिम रिपोर्ट के रूप में माना जाता है यानी किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है तो: -

(i) या तो आगे की जांच के लिए निर्देश दें,

(ii) या सूचनाकर्ता से विरोध याचिका आमंत्रित करना और विरोध याचिका के अवलोकन के बाद-

(ए) या तो इसे धारा 190(1)(ए) द०प्र०स० (बी.एन.एस.एस. की संगत धारा 210 (1)(ए) के तहत बाहरी सामग्री के मामले में शिकायत के रूप में मानें, या

(ख) किसी ऐसी वस्तु आदि की वसूली के लिए आगे की जांच करने का निर्देश देना जो प्रारंभिक चरण में शिकायत की कार्यवाही में नहीं की जा सकती है।

(ग) अंतिम/क्लोजर रिपोर्ट की स्वीकृति और विरोध याचिका को अस्वीकृत किए जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 177 और 182 (तदनुसूची धारा 212 और 217 बी.एन.एस.) के तहत कानून के अनुसार संज्ञान लेने की कार्यवाही करें।

32. यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय को लगता है कि कोई उचित जांच नहीं हो रही है, तो आगे की जांच के लिए निर्देश दे सकता है।

33. यदि पूरी केस डायरी के अवलोकन के बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है, तो आरोप-पत्र को अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) के रूप में मानें और उसके बाद या तो आगे की जांच के लिए निर्देश दें या विरोध याचिका आमंत्रित करें और उसके बाद या, यदि कोई बाहरी सामग्री आती है/अभिलेखों पर आती है, तो आगे की जांच के लिए निर्देश दें या विरोध याचिका को शिकायत के रूप में मानें।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



34. यदि जांच के बाद, विवेचनाधिकारी द्वारा प्राथमिकी के अभियुक्त के पक्ष में अदालत में प्रस्तुत करने के लिए एक अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) तैयार की जाती है, तो वह भ०द०वि० की धारा 177 और 182 (संबंधित धारा 212 और 217 बी.एन.एस.) के तहत पुलिस को गलत जानकारी देने के लिए सूचनाकर्ता और गवाहों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) के साथ शिकायत भी दर्ज करेगा और यदि विरोध याचिका भी दायर की जाती है, जिसके लिए भ०द०वि० की धारा 177 और 182 (संबंधित धारा 212 और 217 बी.एन.एस.) के तहत कार्यवाही पुलिस द्वारा शुरू की जाती है, धारा 177 और 182 भ०द०वि० (बी.एन.एस. की संबंधित धारा 212 और 217) की कार्यवाही अंतिम/क्लोजर रिपोर्ट की स्वीकृति या विरोध याचिका/आवेदन की अस्वीकृति तक स्थगित रखी जाएगी। इस प्रकार, यदि विरोध याचिका को मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या अदालत भ०द०वि० की धारा 177 और 182 (बी.एन.एस. की संबंधित धारा 212 और 217) के तहत दायर शिकायत पर आगे बढ़ेगी।

35. **भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य, (1985) 2 एस.सी.सी. 537** के निर्णय के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून यह है कि यदि आरोपी व्यक्ति को दोषमुक्त करने के लिए अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो सूचनाकर्ता को अंतिम रिपोर्ट के बारे में सूचित किया जाना चाहिए कि आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया है। प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कथित आरोपी को दोषमुक्त करने वाली क्लोजर रिपोर्ट/अंतिम रिपोर्ट के संबंध में सूचनाकर्ता को कोई नोटिस जारी किया है। हालांकि, सूचनाकर्ता, यानी प्रतिपक्षी संख्या-2 ने अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर की, जिसने कथित आरोपी-पत्नी को बरी कर दिया। बी.एन.एस.एस. में, धारा 193(3)(ii) के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि विवेचनाधिकारी जांच की प्रगति के साथ-साथ जांच के पूरा होने के बारे में सूचनाकर्ता को सूचित करेगा, हालांकि बी.एन.एस.एस. में भी विरोध याचिका की कोई अवधारणा नहीं है।

36. यद्यपि बी.एन.एस.एस. 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है और कथित अपराध इसके प्रवर्तन की तारीख से पहले हुआ है, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि वह प्रक्रिया, जो अभियुक्त के लिए अधिक फायदेमंद है, को अपनाया जाना चाहिए। दीपु (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने प्रस्तर संख्या 16(iii) में माना कि 01.07.2024 को या उसके बाद, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत उल्लिखित प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता या अन्य



विशेष अधिनियम के तहत किए गए अपराधों पर लागू होगी। प्रस्तर संख्या 16 नीचे चित्रित किया गया है:

“16- उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय क्रमशः बी.एन.एस. और बी.एन.एस.एस. द्वारा भ०द०वि० और द०प्र०स० को निरस्त करने के प्रभाव के संबंध में कानून का सारांश भी प्रस्तुत कर रहा है और इसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

(i) यदि 1.7.2024 से पहले किए गए अपराध के लिए 1.7.2024 को या उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो भ०द०वि० के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी लेकिन बी.एन.एस.एस. के अनुसार जांच जारी रहेगी।

(ii) 01.07.2024 को (नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की तारीख पर) लंबित जांच में, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने तक द०प्र०स० के अनुसार जांच जारी रहेगी और यदि सक्षम न्यायालय द्वारा आगे की जांच के लिए कोई निर्देश दिया जाता है तो वह द०प्र०स० के अनुसार जारी रहेगी;

(iii) 01.07.2024 को या उसके बाद लंबित जांच पर संज्ञान बी.एन.एस.एस. के अनुसार लिया जाएगा और पूछताछ, विचारण या अपील सहित बाद की सभी कार्यवाही बी.एन.एस.एस. की प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(iv) बी.एन.एस.एस. की धारा 531(2)(ए) ने केवल जांच, परीक्षण, अपील, आवेदन और जांच लंबित रहने तक ही बचा लिया, इसलिए, यदि कोई परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण या आवेदन 01.07.2024 के बाद शुरू किया जाता है, तो उसे बी.एन.एस.एस. की प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

(v) 01.07.2024 को लंबित विचारण, यदि 01.07.2024 को या उसके बाद समाप्त हो जाता है, तो इस तरह के मुकदमे में पारित निर्णय के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण बी.एन.एस.एस. के अनुसार होगा। हालाँकि, यदि अपील में कोई आवेदन दायर किया जाता है, जो 01.07.2024 को लंबित था तो द०प्र०स० की प्रक्रिया लागू होगी।

(vi) यदि आपराधिक कार्यवाही या आरोप पत्र को 01.07.2024 को या उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, जहां द०प्र०स० के अनुसार जांच की गई थी,



तो इसे बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत दायर किया जाएगा, न कि द०प्र०स० की धारा 482 के तहत।

37. जांच पूरी होने के बाद, यदि विवेचनाधिकारी धारा 173 द०प्र०स०(2) (संबंधित धारा 193(3)(i) बी.एन.एस.एस. के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा गया है कि कोई अपराध किया गया है या आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है, तो धारा 193(3)(ii) बी.एन.एस.एस. के तहत, पुलिस अधिकारी, नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, जांच की प्रगति के बारे में सूचनाकर्ता को सूचित करेगा और धारा 193(3)(i) बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बारे में भी, क्लोजर रिपोर्ट (अंतिम रिपोर्ट) पर आपत्ति करने/विरोध करने का समय पर अवसर सुनिश्चित करेगा, जबकि द०प्र०स० के तहत, जांच की प्रगति के बारे में सूचनाकर्ता/पीड़ित को सूचित करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं है। बी.एन.एस.एस. की धारा 193(3)(ii) के तहत उल्लिखित प्रावधानों को नीचे चित्रित किया जा रहा है: -

*"धारा 193(3)(ii)। पुलिस अधिकारी, नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, किसी भी माध्यम से जांच की प्रगति को सूचित करेगा, जिसमें सूचनाकर्ता या पीड़ित को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी शामिल है।*

38. बी.एन.एस.एस. की धारा 193(3)(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भगवंत सिंह (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों को सुनिश्चित करती है, पुलिस रिपोर्ट के मामले में विरोध याचिका दायर करने के लिए सूचनाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करती है, जांच पूरी होने के बाद जांच पूरी होने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करना न्यायिक मजिस्ट्रेट/संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है।

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विष्णु कुमार तिवारी, (2019) 8 एस.सी.सी. 27 तथा मुख्तार जैदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2024) 4 एस.सी.आर. 655 में प्रतिपादित विधि के अनुसार, यदि विरोध प्रार्थना-पत्र परिवाद की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 200 एवं 202 के अधीन अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार उसका निस्तारण कर सकते हैं।

40. यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में, न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 190 (1)(ए) द०प्र०स० [संबंधित धारा 210 (1)(ए)] के तहत संज्ञान लेने के लिए



बाध्य है और मामले को एक शिकायत मामले के रूप में आगे बढ़ाता है, न कि पुलिस मामले के रूप में और शिकायत मामले की प्रक्रिया कथित आरोपी व्यक्ति को बुलाने और मुकदमा चलाने के लिए अपनाई जाएगी।

41. इस मामले के अभिलेखों को देखने के बाद, न्यायालय ने पाया कि आक्षेपित संज्ञान-सह-सम्मन आदेश कानून/प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं किया गया है, इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का मामला है।

अनुच्छेद 21 नीचे उद्धृत किया गया है: -

"अनुच्छेद 21. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा - किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

42. पूर्वगामी विचार-विमर्श के आधार पर, यह न्यायालय अब आक्षेपित आदेश की वैधता और शुद्धता की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, इस मामले में, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने द०प्र०स० के प्रावधानों के अपमान में एक गैर-संज्ञेय अपराध के लिए धारा 506 और 507 भ०द०वि० के तहत गलती से संज्ञान-सह-सम्मन आदेश पारित किया। संक्षेप में, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 2(डी) द०प्र०स० के स्पष्टीकरण के प्रावधान के अनुसार न तो 'गैर-संज्ञेय अपराध' का खुलासा करने वाली पुलिस रिपोर्ट को 'शिकायत' में परिवर्तित किया है और न ही शिकायत पर स्थापित 'समन मामले के विचारण' के रूप में आगे बढ़ने के लिए द०प्र०स० की धारा 190(1)(ए) के तहत संज्ञान लिया है, लेकिन धारा 190(1)(बी) द०प्र०स० के तहत संज्ञान लिया और आवेदक को धारा 223 बी.एन.एस.एस. के पहले प्रावधान के तहत प्रदान की गई सुनवाई का अवसर दिए बिना तलब किया, और गलती से शिकायत के बजाय पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए समन मामले के विचारण के रूप में भी आगे बढ़े।

43. यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन है कि इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन संख्या 1624/2025, प्रेमपाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में समान विधिक प्रश्न पर विचार किया जा चुका है तथा उक्त आवेदन का दिनांक 26.11.2025 के आदेश द्वारा निस्तारण करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं।



44. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 3.10.2024 के आक्षेपित संज्ञान-सह-समन आदेश को एतद्वारा **रद्द/अपास्त** कर दिया जाता है। मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है, जो अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार एक नया आदेश पारित करेगा। यह प्रक्रिया कानून के अनुसार आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर की जाएगी।

45. उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त, यह न्यायालय समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों/न्यायालयों को यह भी निर्देशित करता है कि यदि कथित अभियुक्तों के पक्ष में अंतिम प्रतिवेदन अर्थात् क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय संपूर्ण केस डायरी, अभिलेखों तथा अंतिम प्रतिवेदन अर्थात् क्लोजर रिपोर्ट को अभिग्रहित करेंगे, परंतु साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय विवेचनाधिकारी/पुलिस को यह निर्देश भी देंगे कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित व्यक्तियों तथा विवेचना के दौरान सम्मिलित गवाहों के विरुद्ध, लोक सेवक को उसकी विधिसम्मत शक्ति का प्रयोग कथित अभियुक्त व्यक्तियों के अहित में कराने के आशय से मिथ्या सूचना प्रदान करने के संबंध में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(क) (समतुल्य धारा 215(1)(क), बी.एन.एस.एस.) के अधीन लिखित परिवाद प्रस्तुत करें, जिससे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराओं 177 एवं 182 (समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ 212 एवं 217) के अपराधों के संबंध में विधिक कार्यवाही की जा सके।

46. यह भी निर्देश दिया जाता है कि, न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय, सबसे पहले, पूरे केस डायरी और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अपराधों का संज्ञान लेते हुए, यदि प्रथम दृष्टया अन्यथा दिखाई देता है, तो सूचनाकर्ता से विरोध याचिका आमंत्रित करें और सूचनाकर्ता को सुनने के बाद, यदि यह पाया जाता है कि अपराध किए गए हैं, तो धारा 190(1)(ए) या 190(1)(बी) द०प्र०स० (संबंधित धारा 210(1)(ए) या 210(1)(बी) बी.एन.एस.एस. के तहत संज्ञान लें और यदि कोई अपराध नहीं किया जाता है, फिर धारा 195(1)(ए) द०प्र०स० (संबंधित धारा 215(1)(ए) बी.एन.एस.एस. के तहत धारा 177 और 182 भ०द०वि० (बी.एन.एस. की संबंधित धारा 212 और 217) के अपराध के संबंध में लिखित शिकायत पर आगे बढ़ता है, जो कथित आरोपी व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के लिए पुलिस को अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के लिए प्राथमिकी के



कथित अभियुक्त के खिलाफ झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धारा 195(1)(ए) द०प्र०स० (संबंधित धारा 215(1)(ए) बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

47. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश दिया जाता है कि वे राज्य के समस्त पुलिस अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि जब भी विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए अंतिम प्रतिवेदन (क्लोज़र रिपोर्ट) न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, तो प्रत्येक ऐसे मामले में, जहाँ पुलिस तंत्र का दुरुपयोग मिथ्या, निरर्थक अथवा भ्रामक सूचना प्रस्तुत करके किया गया हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट के सूचनादाता तथा मामले के गवाहों के विरुद्ध, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215(1) (समतुल्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)) के अनुसार सक्षम मजिस्ट्रेट/न्यायालय के समक्ष लिखित परिवाद अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए, जिससे भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ 212 एवं 217 (समतुल्य भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 177 एवं 182) के अंतर्गत अपराधों के संबंध में विधिक कार्यवाही की जा सके। ऐसा न करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 212 एवं 217 (समतुल्य भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 177 एवं 182) के प्रभावी क्रियान्वयन का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

48. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि समस्त विवेचनाधिकारी, थाना प्रभारी, तथा अग्रसारण अधिकारी अर्थात् क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं लोक अभियोजक को यह निर्देशित करें कि जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 (समतुल्य धारा 173, बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन/क्लोज़र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, तो पुलिस द्वारा उक्त के साथ-साथ एक ऐसा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाए जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(क) (समतुल्य धारा 215(1)(क), बी.एन.एस.एस.) में यथापरिभाषित परिवाद के स्वरूप में हो, जैसा कि इस आदेश/निर्णय के पैराग्राफ संख्या 18 में उल्लिखित है, ताकि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 212 एवं 217 (समतुल्य भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 177 एवं 182) के अंतर्गत सूचनादाता तथा गवाहों के विरुद्ध संज्ञान ग्रहण किया जा सके, यदि अंतिम प्रतिवेदन/क्लोज़र रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है तथा विरोध प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया जाता है।

49. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि पुलिस प्राधिकारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना की जाती है और अंततः यह पाया जाता है कि कोई अपराध



गठित नहीं होता है, तो वह न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के पैरा संख्या 122 के अनुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा, बल्कि वह भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 212 एवं 217 (समतुल्य भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 177 एवं 182) के अंतर्गत पुलिस को मिथ्या सूचना देने के संबंध में भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(क) (समतुल्य धारा 215(1)(क), बी.एन.एस.एस.) के अनुसार संज्ञान ग्रहण हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष लिखित परिवाद प्रस्तुत करने के लिए भी विधिक रूप से कर्तव्यबद्ध होगा। अन्यथा विवेचनाधिकारी, थाना प्रभारी, अग्रसारण प्राधिकारी अर्थात् क्षेत्राधिकारी एवं लोक अभियोजक, भारतीय न्याय संहिता की धारा 199(ख) (समतुल्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166क(ख)) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे।

50. यदि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का अक्षरशः एवं भावार्थतः पालन नहीं किया जाता है, तो यह न्यायालय की अवमानना के समतुल्य होगा, और ऐसे अवमाननापूर्ण आचरण के विरुद्ध संबंधित पुलिस प्राधिकारियों तथा न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही हेतु व्यथित व्यक्ति इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। समस्त कार्यवाही इस आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर पुलिस प्राधिकारियों तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा पूर्ण की जाएगी, जिससे न्यायिक कार्यवाहियों का संचालन विधि के अनुसार सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

51. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत आवेदन का **निस्तारण** किया जाता है।

52. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया और उसको देखने के बाद, यह कुछ हद तक संतोषजनक प्रतीत होता है। इस आदेश में की गई टिप्पणियां संबंधित मजिस्ट्रेट की भविष्य की सेवा या कैरियर की संभावनाओं को प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक: 14.01.2026